

मानकारया भज दगा। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री दीपक वीर सरकार कहते हैं कि राज्य में पहले ही महिला सुरक्षा से जुड़ा एक आई आधारित तंत्र मौजूद है। वह करना है। महाराष्ट्र सरकार एआई तकनीक की सहायता से इन मामलों में पूरी सक्रियता से काम कर रही है। कंपनी ने लगभग दो साल पहले सरकार के लिए एक वास्तविकता से लेकर हमने सीनटल का निर्माण किया। सेनटल एआई तकनीक आधारित एक सॉफ्टवेयर है जो अपराध से लड़ने में सहायता करता है।

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 14, सेक्टर-20, द्वारिका, नई दिल्ली-110075
 सीआईएन: L85110DL2004PLC126414 ई-मेल: info@artemishospitals.com
 फोन: 0124-6767999, फैक्स: (0124)-6767701

सक्षम राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली सी.ए. (सीएए) 165/न.दि./2018

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
 और
 कंपनी (समझौते, व्यवस्थापन और समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हों, के मामले में
 और
 आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड के मामले में
 और
 आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइसेज लिमिटेड, आर्टमिस हेल्थ साइसेज लिमिटेड, एथेना एजूर्यार्क लिमिटेड और आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों व ऋणदाताओं के बीच समामेलन की संयुक्त योजना के मामले में
 आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड
 कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निर्गमित एक पक्षिक लिमिटेड कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अभिप्राय में एक कंपनी, सीआईएन नं. ए85110डीएल2004पीएलसी126414 व पंजीकृत कार्यालय स्थित प्लॉट नं. 14, सेक्टर-20, द्वारिका, नई दिल्ली-110075

आवेदक कंपनी 4/
 समामेलित कंपनी 2

आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना की सूचना और विज्ञापन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश दिनांकित 19 दिसंबर, 2018 द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ ("एनसीएलटी") ने आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइसेज लिमिटेड ("एजीएलएसएल" या "समामेलित कंपनी 1" या "समामेलित हो रही कंपनी 3), आर्टमिस हेल्थ साइसेज लिमिटेड ("एचएसएल" या "समामेलित हो रही कंपनी 1), एथेना एजूर्यार्क लिमिटेड ("ईएल" या "समामेलित हो रही कंपनी 2) और आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड ("एसएसएल" या "समामेलित कंपनी 2") और उनके संबंधित शेयरधारकों व ऋणदाताओं के बीच समामेलन की संयुक्त योजना ("संयुक्त योजना") में सम्मिलित व्यवस्थाओं पर विचार करने और उचित पाया गया तो, संशोधन(न) के बिना अथवा संशोधन(न) के साथ अनुमोदित करने के उद्देश्य हेतु आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक के लिए निर्देशित किया है।

उक्त आदेश और इसमें उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक 414/1, 4वां तल, डीडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, भारत में रविवार, 27 जनवरी, 2019 को क्रमशः दोपहर 12:00 बजे और अपर 1:00 बजे आयोजित होगी जिसमें शामिल होने के लिए आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं से निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है।

कंपनी (समझौते, व्यवस्थापन और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के तहत उक्त संयुक्त योजना की प्रतियों, व्याख्यात्मक विवरण और प्रॉक्सी फॉर्म एक (1) दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) में आवेदक कंपनी नं. 4 के पंजीकृत कार्यालय से आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं द्वारा मांग पर नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में मांग लेने और मतदान के लिए अधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में या प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं बशर्ते प्रॉक्सी निर्धारित प्रपत्र में आवेदक कंपनी 4 के पंजीकृत कार्यालय स्थित प्लॉट नं. 14, सेक्टर-20, द्वारिका, नई दिल्ली-110075 में उपरोक्त बैठक शुरू होने से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा हो जाने चाहिए।

प्रॉक्सी फॉर्म आवेदक कंपनी 4 के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
 माननीय एनसीएलटी ने आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की उक्त बैठक के लिए श्री हशमत नबी और उनकी अनुपस्थिति में श्री पार्थ गोस्वामी को अध्यक्ष नियुक्त किया है।

आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक में मतदान बैठक स्थल पर मतपत्रों के माध्यम से कराया जायेगा। बैठक स्थल पर मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए श्री विश्वजीत गुप्ता, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस-5157) को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
 यदि उपरोक्त बैठक में संयुक्त योजना अनुमोदित होती है तो आप माननीय एनसीएलटी के अनुमोदन के तहत होगी।

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक: 24.12.2018
 हित आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड
 इस्त./-
 नवनीत गोयल
 कंपनी सचिव

Business Standard (All Edition) - Himchi - 26th December 2018

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 14, Sector-20 Dwarka, New Delhi-110075
CIN: U85110DL2004PLC126414. Email: info@artemishospitals.com
Tel: 0124 - 6767999. Fax: (0124) - 6767701

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI
CA (CAA) - 165/ND/2018

In the matter of the Companies Act, 2013
And

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements And Amalgamations) Rules, 2016.
And

In the matter of Artemis Medicare Services Limited
And

In the matter of Composite Scheme of Amalgamation between Artemis Global Life Sciences Limited, Artemis Health Sciences Limited, Athena Eduspark Limited and Artemis Medicare Services Limited and their respective shareholders and creditors
Artemis Medicare Services Limited

a public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and being a Company within the meaning of Companies Act, 2013, having CIN No. U85110DL2004PLC126414 with its registered office at Plot No. 14, Sector 20, Dwarka, New Delhi-110075

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF THE SECURED AND UNSECURED CREDITORS OF ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

..... Applicant Company 4 / Amalgamated Company 2

Notice is hereby given that by an order dated the **19th December, 2018**, the Hon'ble National Company Law Tribunal, at New Delhi Bench ("NCLT") has directed meeting of the secured and unsecured creditors of the Applicant Company 4, for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the Composite Scheme of Amalgamation between Artemis Global Life Sciences Limited ("AGLSL" or "Amalgamated Company 1" or "Amalgamating Company 3"), Artemis Health Sciences Limited ("AHS" or "Amalgamating Company 1"), Athena Eduspark Limited ("AEL" or "Amalgamating Company 2") and Artemis Medicare Services Limited ("AMSL" or "Amalgamated Company 2"), and their respective shareholders and creditors ("Composite Scheme").

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that meeting of the secured and unsecured creditors of the Applicant Company 4 will be held at 414/1, 4th floor, DDA Commercial Complex, District Centre, Janakpuri, New Delhi-110058 India at 12.00 p.m. and 1.00 p.m. respectively, on Sunday, 27th January 2019, at which time and place the secured and unsecured creditors of Applicant Company 4 are requested to attend.

Copies of the said Composite Scheme and of the Explanatory Statement under Sections 230, 232 and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge within one (1) day (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being made for the same by the secured and unsecured creditors of Applicant Company 4 at the registered office of the Applicant Company 4. Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Company 4 at Plot No. 14, Sector 20, Dwarka, New Delhi-110075, not later than forty eight (48) hours before the scheduled time of the commencement of the aforesaid meeting.

Forms of proxy can be obtained from the registered office of the Applicant Company 4. NCLT has appointed Mr. Hashmat Nabi and in his absence Mr. Parth Goswami to be the Chairman of the said meeting of the secured and unsecured creditors of the Applicant Company 4.

The voting at the meeting of the secured and unsecured creditors of the Applicant Company 4 would be carried out through polling paper at the venue of the meeting. Mr. Vishwajeet Gupta, Company Secretary (Membership No. FCS-5157) has been appointed as the Scrutinizer for the voting at the venue of the meeting in a fair and transparent manner.

The Composite Scheme, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

Place: New Delhi
Date: 24-12-2018

For Artemis Medicare Services Ltd.
Sd.
Navneet Goel
Company Secretary

Business Standard (All edition) Egitel, Dated 26th December, 2018

Executive signs the place, revales the

NEW DELHI | WEDNES